न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 219/2019
GCMS NO. : **2019/00254**

–: वादी :–

1. जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति– मेघवाल, निवासी– डिगरना, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. सलीमखां पुत्र मांगीलाल
2. बरकतखां पुत्र मांगीलाल
3. घीसा पुत्र रसूल खां फौत के कायम मुकाम :–
   3/1. सिकन्दर पुत्र घीसा
   3/2. सिक्का पुत्र घीसा
   3/3. पिस्ता पुत्री घीसा
   3/4. लीला पुत्री घीसा
   3/5. धापूड़ी पत्नी घीसा
4. लालमोहम्मद पुत्र करीमखां
5. सुभानखां पुत्र करीमखां
6. गनी मोहम्मद पुत्र करीमखां
7. निजामुद्दीन पुत्र करीमखां
8. पताई पुत्री करीमखां
9. गजराई पुत्री करीमखां
   जातियान– लौहार मुसलमान, निवासीगण– बिरोल, तहसील जैतारण, जिला– पाली राज0।
10. दुर्गाराम पुत्र जयराम
11. रामअवतार पुत्र जयराम
12. विशनाराम पुत्र जयराम
13. दरियाव पत्नी जयराम
   जातियान– बावरी, निवासीगण– बिरोल, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।
14. अकबर अली पुत्र लालूखां
15. हुसैन पुत्र लालुखां
16. राजूखां पुत्र लालुखां
17. जैतूनी पत्नी लालुखां
   जातियान– तेली मुसलमान, निवासीगण– बिरोल, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।
18. अमराराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी डिगरना तहसील जैतारण जिला– पाली राज0।
19. मुमताज पुत्री आसूखां
20. साबूदीन पुत्र आसूखां
21. रफीक पुत्र आसूखां
22. बरकत पुत्र आसूखां
23. सकू पुत्री गबरूखां
   जातियान– तेली मुसलमान, निवासीगण– बि[illegible] [illegible]ील– जैतारण जिला– [illegible]
24. [illegible] जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.17 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

24. लक्ष्मी पत्नी मिश्रीलाल जाति सुथार निवासी- निम्बेड़ाकलां, तहसील- रायपुर, जिला पाली राज0।

25.तहसीलदार, जैतारण, जिला-पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः. 15.11.2019**

उपस्थितः- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 09/12/2020**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, में वादी एवं प्रतिवादी की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 375 रकबा 55-12 बीघा किस्म चाही दोयम, की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण सभी माफिक अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें।उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती है, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान का कोई हिस्सा अंकित ही है तथा मौके पर उपरोक्त वर्णित आराजी पक्षकारान अपनी सहमति से अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है। परन्तु कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। तथा मौके पर हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती होने एवं कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादी अपने हिस्से में खाद बीज डालकर उसे उपजाऊ नहीं बना सकता है, कृषि कुआं नहीं खुदवा सकता है। विद्युत कनेक्शन नहीं ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनवा सकता है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं से एवं पक्षकारान के मध्य हिस्से का खुलासा नहीं होने स वादपत्र में वर्णित आराजी को पक्षकारान आगे से आगे विवादित आराजी को अपनी मनमर्जी से रहन, बेचान, व बक्शीश करने को आमादा है तथा प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा करवाये एवं बिना अपने हिस्से का अंकन करवायें किसी अन्य को बेचान कर प्रतिवादीगण अपने गैर कानूनी कार्य को ओर आगे जारी रखेगें तो वादी का अपूर्णीनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी क़दर संभव नहीं है। यदि वादी की आराजी बिना बंटवाड़ा कराये गैर कानूनी कृत्य होता तो वादी अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित होगा। इसलिए वादी का यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिट्[illegible] [illegible]उण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादीगण उक्त आ[illegible] की स्थिति को रदो बदल करते है या बिना बंटवाड़ा करवाये बिना किसी पक्ष[illegible] से हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.17 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

का अंकन करवायें अजनबी क्रेता को रहन, बेचान, वसीयत या अन्य हस्तांतरण करते हो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाब होते है तो मौके पर लड़ाई झगड़े होगें, मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढ़ेगी एवं अनेकों प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी। जिससे वादी अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिए महरूम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 04.11.2018 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करने का कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये एवं वादी को धमकी दी कि वो उसे मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना कब्जा जमा लेगें तथा इसका अजनबी व्यक्तियों को रहन, बेचान व अन्य हस्तांतरण कर देगें। जिससे वादी अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा एवं अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन रूपयों में भी नहीं आंका जा सकेगा। प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्तियों के साथ मिलकर धनबल के आधार पर आये दिन वादी की आराजी में दखल व दस्तन्दाजी कर रहे एवं उन्हें बेदखल करने की पूरी कोशिश कर रहे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो वादी अपने जायज हक व अधिकारों से हमेश के लिए वंचित हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 25 तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जबकि उनके विरूद्ध वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है। बिनाय वाद दिनांक 05.11.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने व भूमि को जरिये रहन, बेचान, के अन्य हस्तांतरण करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बिरोल, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 से 13 व 18 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9, 14 से 17 और 19 से 24 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 10 से 13 व 18 की ओर से इकबालिया जवाब दावा एवं कॉउन्टर क्लेम पेश किया गया, जो सा० मि० है। वकील वादी कॉउन्टर क्लेम का जवाब नहीं देना चाहते है। जवाब बन्द किया गया। वकुलाय उभयपक्ष बहस हेतु तैयार होने से बहस सुनी गई। वकुलाय उभयपक्ष ने जाहिर किया कि मुताबिक राजस्व रेकर्ड बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के विभाजन हेतु वाद प्रा. डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिक्री किया जाकर पक्षकारान में बंटवाड़ा करने का आदेश प्रदान करावें।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी संवत् 2073-76 का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवत् 2073-2076 खसरा न[illegible] 12 बीघा किस्म चाही दोयम के रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसका वादी [illegible] वादीगण संख्या 10 से 13 व 18 बाई मिण्टस एण्ड बाउण्ड[illegible]

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.17 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested

माफिक राजस्व रेकर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 375 रकबा 55-12 बीघा किस्म चाही दोयम, की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बौंउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/890 दिनांक 23/10/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2020/5326 दिनांक 1/12/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 375 रकबा 55-12 बीघा किस्म चाही दोयम, की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म
1.	अमराराम पुत्र पोकरराम कौम- जाट सा0 डिगरणा खातेदार	375/1	4-13	चाही दो.
2.	जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम कौम- मेघवाल सा0 डिगरणा खातेदार	375/2	6-19	चाही दो.
3.	दुर्गाराम, विशनाराम, रामअवतार पिता जयराम, दरियाव पत्नी जयराम कौम बावरी सा0 देह खातेदार	375/3	6-19	चाही दो.
4.	सलीम खां बरकत खां पि. मांगीलाल हिस्सा 139/741, घीसाराम पुत्र रसूल के का.मु. सिकन्दरखां सिक्का खां पि. घीसुखां, पिस्ता, लीला पुत्रियां घीसुखां, धापुड़ी पत्नी घीसुखां हिस्सा 139/741, लालमोहम्मद, सुभानखां, गनीमोहम्मद निजामुदीन पि. करीम, पताई, गलराई पुत्रिया करीम हिस्सा 93/741, कौम लुहार सा0 देह, लक्ष्मीदेवी पत्नी मिश्रीलाल कौम सुथार सा0 निम्बेड़ा	375 375/4	14-01 23-0	चाही दो. चाही दो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.17 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (पाली)

	कल्लां तहसील– रायपुर हिस्सा 186/741, अकबर अली पुत्र लालू खाँ हिस्सा 17/741, साबुदीन, मुमताज पि. आंसुखां हिस्सा 28/741, बरकत, सकु पुत्रीयां गबरू 139/741 कौम तेली सा0 देह खातेदार			
	योग	**02**	**37-01**	**चाही दो.**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक **09/12/2020** को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.17 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :-

1. जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम
जाति- मेघवाल, निवासी-
डिगरना, तहसील-जैतारण
जिला-पाली राज.।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. सलीमखां पुत्र मांगीलाल
2. बरकतखां पुत्र मांगीलाल
3. घीसा पुत्र रसूल खां फौत के
कायम मुकाम :-
3/1. सिकन्दर पुत्र घीसा
3/2. सिक्का पुत्र घीसा
3/3. पिस्ता पुत्री घीसा
3/4. लीला पुत्री घीसा
3/5. धापूड़ी पत्नी घीसा
4. लालमोहम्मद पुत्र करीमखां
5. सुभानखां पुत्र करीमखां
6. गनी मोहम्मद पुत्र करीमखां
7. निजामुद्दीन पुत्र करीमखां
8. पताई पुत्री करीमखां
9. गजराई पुत्री करीमखां
जातियान- लौहार मुसलमान,
निवासीगण- बिरोल, तहसील
जैतारण, जिला- पाली राज0।
10. दुर्गाराम पुत्र जयराम
11. रामअवतार पुत्र जयराम
12. विशनाराम पुत्र जयराम
13. दरियाव पत्नी जयराम
जातियान- बावरी, निवासीगण-
बिरोल, तहसील- जैतारण जिला-
पाली राज0।
14. अकबर अली पुत्र लालूखां
15. हुसैन पुत्र लालुखां
16. राजूखां पुत्र लालुखां
17. जैतूनी पत्नी लालुखां
जातियान- तेली मुसलमान,
निवासीगण- बिरोल, तहसील-
जैतारण जिला- पाली राज0।
18. अमराराम पुत्र पोकरराम जाति
जाट निवासी डिगरना तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.12.17 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

जैतारण जिला– पाली राज0।

19.मुमताज पुत्री आसूखां

20. साबूदीन पुत्र आसूखां

21. रफीक पुत्र आसूखां

22. बरकत पुत्र आसूखां

23. सकू पुत्री गबरूखां

जातियान– तेली मुसलमान, निवासीगण– बिरोल, तहसील– जैतारण जिला पाली राज0।

24. लक्ष्मी पत्नी मिश्रीलाल जाति सुथार निवासी– निम्बेड़ाकलां, तहसील– रायपुर, जिला पाली राज0।

25.तहसीलदार, जैतारण, जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 219/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री किशोर कुमावत मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर 375 रकबा 55–12 बीघा किस्म चाही दोयम, की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म
1.	अमराराम पुत्र पोकरराम कौम– जाट सा0 देह खातेदार	375/1	4-13	चाही दो.
2.	जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम कौम– मेघवाल सा0 देह खातेदार	375/2	6-19	चाही दो.
3.	दुर्गाराम, विशनाराम, रामअवतार पिता जयराम, दरियाव पत्नी जयराम कौम बावरी सा0 देह खातेदार	375/3	6-19	चाही दो.
2.	सलीम खां बरकत खां पि. मांगीलाल हिस्सा 139/741, घीसाराम पुत्र रसूल के का.मु. सिकन्दरखां सिक्का खां पि. घीसुखां, पिस्ता, लीला पुत्रियां घीसुखां, धापुड़ी पत्नी घीसुखां हिस्सा 139/741, लालमोहम्मंद, सुभानखां, गनीमोहम्मद निजामुदीन पि. करीम, पताई, गलराई पुत्रिया करीम हिस्सा 93/741, कौम लुहार सा0 देह, लक्ष्मीदेवी पत्नी मिश्रीलाल कौम सुथार सा0 निम्बेड़ा कल्लां तहसील– रायपुर हिस्सा 186/741, अकबर अली पुत्र लालू खाँ हिस्सा 17/741, साबुदीन, मुमताज पि.	375 375/4	14-01 23-0	चाही दो. चाही दो.

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.12.17 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested

	आंसुखां हिस्सा 28/741, बरकत, सकु पुत्रीयां गबरू 139/741 कौम तेली सा0 देह खातेदार			
	योग	02	37-01	चाही दो.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09/12/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एंव पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला पाली)

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	=	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	13-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	/
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	19-00	मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.17 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested